न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 34 / 2015

प्रार्थी–

भंवरलाल पुत्र गणेशमल जाति खण्डेलवाल निवासी सिणधरी तह0 सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा तह. सिणधरी जिला बाड़मेर
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल जाति खत्री निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.12.2007 जो अप्रार्थी सं. 2 जितेन्द्र कुमार के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मदनलाल सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 04 / 02 / 2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम सिणधरी चारणान मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 4 दिनांक 20.12.2007 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 30 गुणा 45 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 145 से 157 व 161 से 168 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज

अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है साथ ही जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नही है बल्कि प्रार्थी के स्वामित्व की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 145 के तहत कोई प्रार्थना पत्र नही लिया और न ही प्रार्थना पत्र किसी रजिस्टर मे दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के लिये कोई शुल्क, नक्शा शुल्क भी नही ली गई और न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। आम सूचना जारी कर कोई आपत्तियां आमंत्रित नही की गई तथा न ही पंचायत की बैठक मे प्रस्ताव रखकर उसका अनुमोदन कराया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा जारी करने मे किसी भी नियम की पालना नही की गई है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख सं. 4 खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के तत्कालीन सरपंच हिमताराम सैन द्वारा जारी किया गया है जिसके खिलाफ फर्जी पट्टे जारी करने, पंचायत का रेकर्ड गायब करने का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके फलस्वरूप उसे निलम्बित किया गया। उक्त निलम्बित सरपंच द्वारा पुरानी तारीखों मे अभी तक पट्टे जारी किये जा रहे है। अप्रार्थी सं. 2 को जारी पट्टा विलेख मे ग्राम पंचायत के किसी संकल्प का विवरण नही है तथा कॉलम खाली छोड़ा गया है क्योंकि ग्राम पंचायत मे इसका कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि इस नियम के अन्तर्गत केवल पुराने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

आवासीय मकान का ही नियमितीकरण किया जाता है जो 50 वर्ष पुराना निर्माण किया हुआ हो। आलौच्य पट्टा मे अंकित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कोई मकान नही बना हुआ है और वह भमि आज भी खाली पड़ी है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा एक सिविल दीवानी वाद सं. 37/2013 सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका कमीश्नर श्री भगवतसिंह राठौड़ एडवोकेट की रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूमि मौके पर खाली है तथा इस मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 2 स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है। इसी सिविल वाद मे गोरधनराम प्रजापत के पक्ष मे नियम 157–ख के तहत जारी पट्टा सं. 577 दिनांक 31.12.2010 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमे अंकित पडौस मे पूर्व की तरफ भंवरलाल व पश्चिम मे जोगाराम व गोरधराम की भूमि उल्लेखित है। उक्त गोरधनराम प्रजापत का पट्टा उप पंजियक सिणधरी के कार्यालय मे पंजिकृत है, जिसकी प्रतिलिति इसके संलग्न प्रस्तुत की है।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संबंध मे अप्रार्थी सं. 2 के पिता छगनलाल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर के न्यायालय मे धारा 145 सीआरपीसी का प्रकरण चला था जिसका निर्णय प्रार्थी के पक्ष मे हुआ था और इस निर्णय के विरूद्ध अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी भी निर्णय दिनांक 06.08.1997 को खारिज की गई है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा विलेख को जारी करने से संबन्धित संकल्प को निरस्त किया जावें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के समर्थन मे विभिन्न न्यायिक निर्णय नजीरें 2018 डीएनजे (एससी) 221, 2016(4) डीएनजे (राज) 1799, 2010(3) डीएनजे (राज) 1147 व एस0बी0सिविल रिट याचिका सं. 9037/2012 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2012 प्रस्तुत की गई। साथ ही निवेदन किया कि इस प्रकरण मे जांच उपरांत उचित समझा जावें तो तत्कालीन सरपंच हिमताराम सेन के विरूद्ध प्रथम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी को प्रदान किया जावें एवं इस रीविजन का खर्चा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 4 दिनांक 20.12.2007 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु दिनांक 27.10.2005 को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया था उस समय सरपंच श्रीमती हिरादेवी थी उसके पश्चात हिमताराम सैन सरपंच निर्वाचित हुए थे, जिन्होने विधि सम्मत नियमों की पालना करते हुए दिनांक 20.12.2007 को पट्टा जारी किया है। तत्कालीन सरपंच हिमताराम सैन द्वारा ग्राम पंचायत का रेकर्ड गायब करने एवं उसे निलम्बित किये जाने के संबंध मे अप्रार्थी सं. 2 को कोई ज्ञान नही है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा 2 छपरे बने हुए थे जो बाद मे आंधी व बरसात के कारण गिर गये थे तथा अप्रार्थी के आवासीय कब्जे मे तगाराम पुत्र कालूराम द्वारा हस्तक्षेप करने पर अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा इस वाद मे आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई खारिज किया गया एवं वाद अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे दिनांक 30.03.2015 को डिक्री किया गया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश बालोतरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.12.2016 के द्वारा खारिज की गई । इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा पूर्ण रूप से साबित है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

6. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पट्टा विलेख मे पडौस जोगाराम व गोदाराम अवश्य अंकित है किन्तु जोगाराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख मे क्या पडौस अंकित किये गये है इसका अप्रार्थी सं. 2 को कोई ज्ञान नही है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के न्यायालय मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के पिता छगनलाल के बीच धारा 145 सीआरपीसी के प्रकरण मे पूर्व की तरफ बनी हुई दुकानों का कब्जा छगनलाल का माना तथा शेष भूमि पर कब्जा प्रार्थी का माना है। इस भूमि के संबंध मे प्रकरण विचाराधीन है जिसका विवादित भूखण्ड से कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टा विलेख मे ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या का कॉलम खाली नही होकर संकल्प संख्या 3 अंकित है तथा प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत एवं निराधार तथ्य प्रस्तुत किये है। ग्राम पंचायत सिणधरी के पंचायत भवन मे दिनांक 09.03.2008 की रात्रि मे विद्युत शॉर्ट–सर्किट होने के कारण से पंचायत के स्टोर मे रखा गया सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था जिसकी सूचना थानाधिकारी सिणधरी को ग्राम सेवक व तत्कालीन सरपंच द्वारा दी गई थी। इसमे अप्रार्थी सं. 2 के पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली भी जल गई थी जो ग्राम पंचायत सिणधरी मे उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं विधि विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। विवादित भूखण्ड प्रार्थी के कब्जा एवं स्वामित्व का होना मानते हुए उखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर के न्यायालय मे विचारित धारा 145 सीआरपीसी के प्रकरण मे कब्जा प्रार्थी का होना दस्तावेजी सबूतों से जाहिर किया गया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अपने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

पडौस मे गोरधनराम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के पक्ष मे तत्कालीन सरपंच हिमताराम सैन द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 1353 दिनांक 05.08.2007 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके पडौस मे प्रार्थी का कब्जा भूखण्ड होना अंकित है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा गोरधनराम को उक्त पट्टा वर्श 2007–08 मे जारी किया है तथा इसके प्रस्तुत संख्या व पट्टा संख्या 1353 अंकित है जबकि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा भी वर्ष 2007–08 मे जारी किया है जिसके जारी करने की तारीख 20.12.2007 अंकित है एवं प्रस्तुत संख्या 4 व पट्टा संख्या भी 4 अंकित है इस प्रकार पश्चातवर्ती माह दिसम्बर मे प्रस्तुत एवं जारी पट्टा की सख्या 4 अंकित हुई है जबकि इसी वर्ष मे अगस्त माह मे प्रस्तुत एवं जारी पट्टा की संख्या 1353 है, इससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा संदिग्ध है जो पुरानी तिथी मे जारी किया गया है। यद्यपि अप्रार्थी सं. 2 ने प्रकट किया है कि उसके पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 3 के अनुसरण मे जारी किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा की फोटो प्रति मे ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या एवं दिनांक के कॉलम मे क्रॉस अंकित किये गये है। इस तथ्य के खण्डन के लिये अप्रार्थी सं. 2 ने उसके पास उपलब्ध मूल पट्टा अथवा उसकी प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्तुत नही की गई है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के द्वारा शुल्क प्राप्ति की दो रसीदें क्रमशः 35/– रूपये एवं 200/–रूपये एवं नोटिस दिनांक 05.10.2007 की अप्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिससे यह कतई साबित नही होता है कि इसके अनुसरण मे पट्टा जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की गई हों। इसके विपरित विवादित भूमि पर प्रार्थी द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के अन्तर्गत विचारित प्रकरण मे कब्जा होना प्रकट किया है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने सिविल न्यायालय मे अन्य पक्षकार के विरूद्ध दायर निशेधाज्ञा का वाद अपने पक्ष मे डिक्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिकथनों से यह कतई साबित नही हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाडमेर

भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का है, किन्तु ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नही हो रहा है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों मे पंचायत की कार्यवाही के किसी प्रक्रम का ठोस प्रमाण प्रकट नही किया गया है और न ही किसी अन्य न्यायालय अथवा उप पंजियक के समक्ष उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पंजिबद्ध कराये जाने का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है, जिसके आधार पर उसकी सत्यता एवं वैधानिकता को माना जावें। ऐसे मे ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे नियमानुसार रेकर्ड संधारित कर कार्यवाही किया जाना नही पाया जाता है तथा अनियमित रूप से मात्र पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 4 दिनांक 20.12.2007 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)